भारतीय भाषाएँ तथा हिंदी : वर्तमान परिदृश्य

डॉ. दिनकर प्रसाद*

भारत प्राचीन काल से ही बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक देश रहा है। भारत की जनगणना 1961 के अनुसार भारत में कुल 1652 मातृ भाषाएँ हैं। भारत में आर्यभाषा, द्रविड़, आस्ट्रो एसियाटिक तथा तिब्बत-चीनी परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का {आर्यभाषा (73%), द्रविड़ (25%), आस्ट्रो एशियाटिक (1.03%) तथा तिब्बत-चीनी परिवार (0.7%) प्रतिशत है। भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी है। जिनके नाम हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी, मराठी, गुजराती, सिंधी, नेपाली, असमिया, कोकणीं, ओडिया, मैथिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, संताली और बोडो हैं । ये भाषाएँ अपने क्षेत्र निवासियों के दिलों में बसने के साथ-साथ उस क्षेत्र में राजभाषा के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 99 बोलियाँ है जिनका प्रभाव भी उस क्षेत्र विशेष के लोगों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है ।

दैनिक जागरण के द्वारा चलाए गए हिंदी हैं हम के आयोजन में बोलते ह्ए डॉ. हरीश त्रिवेदी ने कहा कि, "इस समय भारतीय भाषाओं के बीच बहुत अधिक सौहार्द्र है तथा हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएँ समृद्ध हो रही हैं।"

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भरुच में वर्ष 1917 के गुजराती शैक्षिक सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में कई तर्क दिए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी भारतीय भाषाओं के विकास हेतु सकारात्मक कदम उठाने के साथ-साथ भाषाविदों एवं शिक्षाविदों द्वारा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में ही देने का सुझाव दिया गया है।

भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं होती बल्कि उसके साथ उस समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आर्थिक जुड़ाव भी रहता है। जब हम किसी भाषा के नियोजन की बात करते हैं तो हम उस पूरे समाज के नियोजन के बारे में ध्यान रखते हैं।

"Learn More Languages Earn More Friends."

"हर भाषा में है अपनापन, सीखो भाषा जीतो मन"

मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जिसे कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयास से सीख लेता है, जिसको सीखने के लिए उसे अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती और जिससे उसका गहरा भावनात्मक लगाव होता है। भारत देश के संबंध में कहा जाता है कि, **"कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी"** तो ऐसी परिस्थिति में हर एक भाषा का अपना एक अलग महत्व और उसकी अपनी एक अलग ही पहचान है।

भारत में भाषओं और संस्कृतियों की भरमार है । यहाँ राज्यों के निर्माण में भी भाषाओं की अहम भूमिका रही है। हर प्रदेश की अपनी अलग संस्कृति है, अलग जीवन शैली है, अलग खान-पान एवं पहनावा है, पूजा और अनुष्ठान करने के अपने अलग-अलग तरीके हैं। इतनी विविधता होने के बाद भी यहाँ अनेकता में एकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । यह एकता एक- दूसरे के प्रति सम्मान और आदर देने से ही आती है।

यूँ तो हमारे संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि बाकी भाषाएँ एवं बोलियाँ गौण हैं। उनका भी अपना एक वृहत इतिहास और भाषाई समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा पर गर्व होता है और उसकी मातृभाषा ही उसके व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। हालाँकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कई भाषाएँ सीख लेता है परंतु उसका भावनात्मक जुड़ाव सदैव ही उसकी अपनी मातृभाषा से रहता है।

पहले बच्चों की प्राथमिक शिक्षा घर से ही आरंभ होती थी जो उस की मातृभाषा में होती थी। भारत सरकार की शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में प्राथमिक शिक्षा उस राज्य की राजभाषा के माध्यम से ही दिए जाने पर बल देती है साथ ही अंग्रेजी और किसी एक अन्य भारतीय भाषा को सिखाने का प्रावधान किया गया है। विश्वभर के भाषाविदों ने भी इस बात पर बल दिया है कि बच्चों को यदि प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए तो उनका सर्वांगीण विकास तीव्र गति से होता है। इससे वे अन्य भाषाओं को भी बड़ी सहजता से सीख लेते हैं।

भारतीय समाज सदियों से ही द्विभाषी रहा है। ऐसी स्थिति बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी है । इससे बाकी गौण भाषाओं के विकास में भी सहायता मिलेगी। भारत भी जनगणना 2011-1961 तक के द्विभाषिकता के आँकड़ों पर नजर डालें तो 2011-26%, 2001-24.8%, 1991-19.44%, 1981-13.34%, 1971-13.04%, 1961.9.7%) इन पचास वर्षों में द्विभाषिकता का प्रतिशत ढाई गुना से भी अधिक हो गया है। यह बात ध्यातव्य है कि भारत की जनगणना 1991 में पहली बार त्रिभाषिकता शब्द को प्रयोग किया गया जो अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा भारत में गोवा राज्य के निवासी सर्वाधिक बहुभाषी हैं।

हमारा देश 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की परंपरा में विश्वास रखता है अतः हम एक दूसरे की भाषा एवं संस्कृति को केवल सम्मान ही नहीं देते बल्कि उसे आत्मसात कर उसे जीते भी हैं। जहाँ हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि भारत में इतनी अधिक मात्रा में मातृभाषाएँ हैं वहीं दूसरी ओर युनेस्को द्वारा जारी लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में भारत की 197 भाषाओं को शामिल किया गया है जो एक चिंता का विषय है।

*जूनियर रिसोर्स पर्सन II (हिंदी) राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, भारतीय भाषा संस्थान (शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार) मानस गंगोत्री मैसूरु

यहाँ न ही केवल गौण मातृभाषाएँ लुप्त हो रही हैं या कगार पर हैं बल्कि कई मुख्य भाषाओं की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है।

इसका मुख्य कारण लोगों द्वारा अपना मातृभाषा के संबंध में हीन भावना से ग्रसित होना है लेकिन यह बात समझने की है कि कोई भाषा अपने आप में अक्षम नहीं होती । हर क्षेत्र में कोई न कोई भाषा मुख्यधारा से जुड़ी रहती है, जिसका आम जन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और कई कारणों से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं और धीरे-धीरे उसे ही आत्मसात कर लेते हैं। परिणामस्वरूप वे अपनी मातृभाषा से विमुख होने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी मूल भाषा से ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी दूर होते चले जाते हैं । अब समय आ गया है कि हम अपनी भाषाओं का प्रलेखन और उनका संरक्षण करने के साथ-साथ उसे उसके भाषायी समाज द्वारा उसे व्यवहृत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें । इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से भारत के अनेक विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में भारतीय की अल्पज्ञात भाषाओं पर कार्य करने के लिए कई योजनाएँ चल रही हैं । इस संबंध में मैसूरु में स्थित भारतीय भाषा संस्थान,मैसूरु एक अहम भूमिका निभा रहा है । यहाँ भारतीय भाषाओं के विकास, संरक्षण, संवर्धन एवं प्रलेखन हेतु कई परियोजनाएँ चल रही हैं।

अगर हम भारतीय भाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो शास्त्रीय भाषाओं की बात न करना बेमानी होगा। भारत सरकार ने सर्वप्रथम वर्ष 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तत्पश्चात वर्ष 2005 में संस्कृत, वर्ष 2008 में कन्नड़, वर्ष 2008 तेलुगु, वर्ष 2013 मलयालम तथा वर्ष 2014 उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इन शास्त्रीय भाषाओं में से कुछ के केंद्र भारत के विभिन्न भागों में स्थापित हो चुके हैं और कुछ को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है । इन भाषाओं के अध्ययन केंद्रों के स्थापित हो जाने से हमें न केवल अपने अतीत के गौरवमयी भाषा को समझने में सहायता मिलेगी बल्कि ये अल्पज्ञात भाषाएँ पुनः पुष्पित एवं पल्लवित हो सकेंगी।

वैश्वीकरण के इस दौर में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं के बढ़ते प्रभाव का असर सभी भाषाओं पर पड़ा है, और ज्यादातर लोगों का रुझान अंग्रेजी की ओर बढ़ा है। ऐसी स्थिति में भारतीय भाषाओं के बच्चों को उनकी अपना मातृभाषा में पुस्तकें एवं शिक्षण संबंधित अन्य सामग्री उपलब्ध करना एक चुनौती से कम नहीं है । एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद कराकर 22 भाषाओं में उपलब्ध करा रहा है।

भारत सरकार ने मातृभाषा के महत्व को समझते हुए अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को उनकी अपनी मातृभाषा में परीक्षा में उत्तर देने का विकल्प दिया है। यहाँ तक की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली प्रतिष्ठित परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारतीय संविधान की अष्टम सूची में अधिसूचित भाषाओँ को भी सम्मिलित किया गया है

किसी भी भाषा को तीन संदर्भो में देखा जा सकता है। सीमित, व्यापक और वृहत्तर । अगर हिंदी भाषा के सीमित संदर्भ की बात करें तो हिंदी क्षेत्र अथवा हिंदी भाषी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली से है । इन क्षेत्रों में उसके दो स्वरूप निर्मित होते हैं। एक मातृभाषा का और दूसरा प्रथम भाषा का । यह शहरी और शिक्षित वर्ग की मातृभाषा है और शिक्षा एवं समाज में सबके लिए प्रथम भाषा है । हिंदी, हिंदी-भाषी क्षेत्र के भाषा–भाषी की मातृभाषा अथवा प्रथम भाषा है और औपचारिक संदर्भ में हिंदी भाषी राज्यों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा के रूप में हिंदी प्रथम भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है साथ ही अहिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है ।

गंपर्ज नें स्पष्ट किया है कि ''किसी भाषा समुदाय के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि वे हमेशा सभी सामाजिक संदर्भों में समान भाषा का प्रयोग करें अपितु इतना आवश्यक है कि उस समुदाय के लोगों को किसी एक समान भाषा का ज्ञान अवश्य हो, जिससे उस समुदाय के लोग अपने विचारों को उस समुदाय के दूसरे सदस्यों तक पहुँचा सकें और वे सदस्य उन्हें ग्रहण कर सकें।''

भाषा समुदाय का एक तो व्यापक रूप होता है साथ ही उस व्यापक भाषा समुदाय जहां भाषिक इकाइयों का संबंध ऊँचे स्तर पर होता है वहाँ सीमित भाषा समुदाय में परस्पर प्रगाढ़ संबंधों के कारण भाषिक इकाइयों का संबंध भी गहरा और घनिष्ठ होता है । यही कारण है कि व्यापक भाषा समुदाय की अपेक्षा सीमित भाषा समुदाय में बोधगम्यता की स्थिति अधिक होती है । उदाहरण के लिए हिंदी भाषा समुदाय एक व्यापक भाषा समुदाय है । उसकी अवधी और राजस्थानी बोलने वालों के बीच उच्च स्तर पर तो परस्पर बोधगम्यता की स्थिति मिलती है लेकिन सीमित स्तर पर नहीं। हरियाणवी और राजस्थानी बोलने वाले यूँ तो अलग-अलग भाषा समुदाय हैं । जिनमें परस्पर घनिष्ठ संबंधों के कारण बोधगम्यता की स्थिति है , इनमें भी और सीमित भाषा समुदाय हो सकते हैं जिनमें और भी अधिक प्रगाढ़ संबंधों के कारण परस्पर बोधगम्यता की स्थिति अधिक है ।

हिंदी भाषायी समाज के क्षेत्र और प्रकृति को मुख्यतः दो वर्गो में रखा जा सकता है । (1) **मुख्य** (2) **गौण**

मुख्य हिंदी भाषायी समाज उस क्षेत्र में रहता है जो मूलतः हिंदी का अपना क्षेत्र है । इसमें हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड का हिंदी भाषायी समाज आता है । इस भाषायी समाज में काफी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो प्रायः केवल अपनी-अपनी स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियाँ और उपबोलियाँ ही बोलते हैं ।

हिंदी का दूसरा भाषायी समाज भी है जिसे गौण कहा जा सकता है। इस दूसरे भाषायी समाज में एक तरह तो कोलकाता और मुम्बई की हिंदी को लिया जा सकता है। कोलकाता ही हिंदी बंगला मिश्रित है तो मुंबई की गुजराती-मराठी मिश्रित। यह हिंदी का भाषायी समाज भारत के भीतर है। दूसरी तरफ भारत से बाहर मारिशस, फीजी, त्रिनिदाद, गयाना, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि में भी हिंदी का भाषायी समाज है। इन देशों में हिंदी भाषी अपने परिवार के तथा अपने भाषायी समाज के अन्य घनिष्ठ लोगों के साथ अनौपचारिक स्तर पर हिंदी की वे बोलियाँ बोलते हैं, जो इन देशों में बोली जाती हैं, जिनमें प्रायः सभी में भोजपुरी के तत्वों की प्रधानता है तथा कुछ में अवधी आदि का भी कुछ मिश्रण मिलता है, साथ ही इन देशों की मुख्य भाषाओं का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। ये लोग आपस में औपचारिक परिस्थितियों में मानक हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं।

अनेक विरोध के बावजूद हिंदी का उत्तरोत्तर विकास हुआ है विशेषकर भारतेन्दु, शिवपूजन सहाय, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह 'दिनकर', हजारी प्रसाद द्विवेदी, पं0 कामता प्रसाद गुरू, पं0 किशोरीदास बाजपेयी, डॉ0 नगेन्द्र, डॉ0 हरदेव बाहरी, डॉ0 रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, डॉ0 भोलानाथ तिवारी, डॉ0 उदय नारायण तिवारी तथा अन्य लोगों ने हिंदी भाषा को परिष्कृत तथा समउन्नति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हिंदी प्रयोग को वृहत्तर संदर्भ को **जनपदीय संदर्भ**, **राष्ट्रीय संदर्भ** तथा **अंतरराष्ट्रीय संदर्भ** में देखा जा सकता हैः-

जनपदीय संदर्भ में मागधी से विकसित भोजपुरी, मैथिली अर्द्धमागधी से विकसित अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, शौरसेनी से विकसित, ब्रज, कन्नौजी, बुन्देली, खड़ी बोली, हरियाणवी या कौरवी, राजस्थानी, पंजाबी, तथा हिमालय की तराइयों की पहाड़ी बोलियाँ और उनका क्षेत्र आता है। फलस्वरूप हिंदी भाषा-क्षेत्र की सीमा बिहार से पंजाब, मध्य देश से हिमालय की तराई तक फैली है। तात्पर्य यह है कि इन सीमाओं के भीतर आनेवाले जनपदों के स्थानीय तत्वों को ग्रहण कर हिंदी में अपना रूप निर्मित किया।

जैसे-महाराष्ट्र में 'चोट' शब्द अश्लील अर्थ में लिया जाता है, पर हिंदी क्षेत्र में यह अश्लील अर्थ से रहित है। इसलिए हिंदी अपने भाषिक तत्वों के लिए जहाँ जनपदों के प्रति मुखापेक्षी है, वहीं अपने अर्थ के लिए जनपदीय संदर्भ की अपेक्षा रखती है।

राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं रही, अपितु यह एक देश, एक जाति, एक संस्कृति और एक धर्म की पहचान रही है। यदि इसके इतिहास पर विचार किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी। यदि यह हिंदुस्तान की पहचान रही तो जाति, संस्कृति धर्म के रूप में हिंदू की पहचान भी बनी। इसके विकास के अतीत पर दृष्टि डाली जाए तो यह समूचे देश की एक मात्र भाषा, राष्ट्रभाषा भी रही। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य शासन सत्ता की भाषा से नहीं है, अपितु उस शासन सत्ता में रह रहे जन-साधारण तथा बौद्धिक दृष्टि से उन्नत उन लोगों के विचार-विनिमय की भाषा से है जो भाषिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध और जो उनकी सर्वाधिक प्रिय भाषा रही है। लगभग सात सौ वर्षों की पराधीनता के पश्चात् हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के उदय के पूर्व ही अंग्रेज भी इस भाषा के स्वरूप निर्धारण और विकास के प्रति सचेत हुए और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के लिए विवश हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी भाषा – माध्यम का कार्य करती दिखाई देती है। समूचा आंदोलन इसी भाषा के माध्यम से चला। फलस्वरूप हिंदी को पूरे भारतीय राष्ट्र में बोधगम्य होने का स्वयमेव प्रमाणपत्र मिल गया और भारत के स्वतंत्र होते ही पंद्रह वर्षों बाद अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित करने हेतु, केवल संविधान मे प्रावधान ही नहीं किया गया, अपितु उसके विकास, उसे समृद्ध करने, उसके प्रयोग को बढ़ाने हेतु राजभाषा आयोग की स्थापना भी की गयी।राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी के कई रूप विकसित हो चुके हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने बंबइया हिंदी में "**मुरदा-घर**" नामक एक ही उपन्यास लिखा है। जिसकी कुछ पंक्तिया उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं-

-हाथ छोड़ मेरा।...मैं बोलती हाथ छोड़ दे.....। नहीं छोड़ेंगा ?

-नहीं छोड़ता हाथ।.....तू कुछ नईं खाई....मैं भी कुछ नईं खाया।अभी तू चल। ले के जाऊँगा मैं तेरे कू ....सच्ची बोलता।

-सच्ची का बच्चा ! मैं बोलती हाथ छोड़ दे....। छोड़ता कि नईं?

कलकतिया हिंदी

"कॉला सूबा के षोमय फूलबाड़ी में फूल वीनने गई थी। माँ की पूजा के लिए फूल चुनना आर ठाकुर जी के प्रषाद की माला बनाना उसका नित्त का काम था। बो फूल बी के बीच में पत्थर के छॉट्टे से चबुतरे पर बैठी जूही की माला गूँथ रही थी।"

पंजाबी हिंदी

"कला सुबा (कुछ 'ह' मिश्रित बनी ध्वनि) के समें फुल्लवाड़ी में फुल्ल बीनने गई ('ब' में 'ह') की भी कुछ ध्वनि रहती है।) माँ की पूजा के लिए फुल्ल चुनना और ठाकुर जी के परसाद की माला बनना ('ब' में थोड़ी 'ह' ध्वनि भी) उसका नित्त का कम्म था।"

मद्रासी हिंदी

"कळा सुबः के समै फूलवाड़ी में फूल बीनने गयी ती। माँ की पूजा के लिए फूल चुनना और टागुरजी के प्रसाद की माला बाना उसका निच्च का काम ता। वह फुलवाड़ी के बीच में पत्तर के छोटे से चबूतरे पर बैटी जूही की माला गूंत रही ती।"

हैदराबादी हिंदी

"कळा सुबः समय फुलवाड़ी में फूल बीनने गयी थी। माँ की पूजा के लिए फूल चुनना आउर ठाकूर जी के प्रसार की माला बनाना उस्का

निच्च का काम था वह फुलवाड़ी के बीच में पत्थर के छोटे से चबूत्रे पनर बैठी जूही की माना गूंथ रही थी।"

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी स्वयं जहाँ दूसरी भाषाओं से प्रभावित हुई, वहीं हिंदी का एक दूसरा पक्ष भी सामने आता है। सत्य तो यह है कि हिंदी केवल भाषा नहीं,अपितु वह हिंदू संस्कृति की एक पहचान है । आज विश्व के 50 देशों के लगभग 130 विश्वविद्यालयों में इसका शिक्षण होता है तथा हिंदी शिक्षक भी भारत से विदेशों में पढ़ाने जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि विश्व चेतना में हिंदी ने एक स्थान बनाया है । इसलिए विश्व के लोगों की अभिरूचि हिंदी-शिक्षण के प्रति बढ़ी।

फॉदर कामिल बुल्के, हेनरी केलॉग, विलियम जोन्स, मैक्समूलर, ग्रियर्सन आदि अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने संस्कृत के माध्यम से आधुनिक हिंदी एक पहुँचने की कोशिश की। राजभाषा अधिनियम के अनुसार उच्चायोगों, राजदूतों द्वारा प्रयुक्त की जानेवाली भाषा हिंदी ही है। इसी तरह हिंदी ने राष्ट्रीय संदर्भो को पार कर अंतरराष्ट्रीय संदर्भो में प्रवेश किया। विदेशी भाषाओं के साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान का हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ तथा हिंदी साहित्य तथा अन्य हिंदू धर्मशास्त्र की पुस्तकों, पंचतंत्र की कहानियों तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान सामग्रियों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद इस बात का प्रमाण है कि हमारी भारतीय भाषाएँ समृद्ध हो रही हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कोश में भारतीय भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित किया गया है , साथ ही इन कोशों में भारतीय शब्दों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अंतरराष्ट्रीय सन्दर्भो से हिंदी और समृद्ध हुई और उसने दूसरी भाषाओं को भी समृद्ध किया। फलस्वरूप हिंदी आज समस्त विश्व के ज्ञान-विज्ञान को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य रखती है । वस्तुतः अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में आधुनिक जीवन की यही अपेक्षाएँ हैं। इन अपेक्षाओं पर हिंदी खरी उतरती है। आज वह जीवन जगत् के समस्त अनुभवों को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य रखती है।

आज के डिजिटलीकरण के दौर में हर क्षेत्र में अनुवाद, निर्वचन और लिप्यंतरण के माध्यम से लोगों तक अन्य भाषाओं की जानकारियाँ पहुँच रही हैं। चाहे वह सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्मों, टेलिविजन, प्रिंट मीडिया आदि ने विश्वभर के लोगों को सीमाओं के परे आपस में जोड़ा है । आज विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी चौथे नंबर पर है। भारत के 44% लोग हिंदी बोलते हैं। आज डिजिटल दुनिया में 94% की दर से हिंदी की सामग्री बढ़ रही है। 21% भारतीय हिंदी में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं । 93% युवा हिंदी में यूट्यूब का प्रयोग करते हैं । आज 95% पंजाबी लोग हिंदी समझते हैं। 95.5% गुजरातियों के बीच हिंदी लोकप्रिय है । पूर्वोतर भारत तथा दक्षिण भारतीय लोगों के बीच हिंदी की पहुँच बढ़ी है । हिंदी आज पूरे भारत की संपर्क भाषा है।

लेकिन हमें सदैव इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बदलते परिवेश के अनुरूप सजग रहना है तथा भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संचालित विभिन्न भाषा संस्थानों द्वारा तैयार कराए गए भारतीय भाषाओं की मानक शब्दावलियों का ही प्रयोग करना होगा ताकि एकरूपता लाई जा सके । भारतेन्दु जी ने निम्नलिखित पंक्तियाँ के माध्यम से निज भाषा के महत्व और उसके प्रयोग की ओर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया था।

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल ।।

सहायक ग्रंथ

1. गुप्त, मोतीलाल एवं रघुवीर प्रसाद भटनागर 1974 आधुनिक भाषाविज्ञान कीभूमिका, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. गुरु, कामता प्रसाद (सं. 2092 वि): हिन्दी व्याकरण, काशी नागरी प्रचारिणीसभा।
3. श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ व रमानाथ सहाय, (संपा) 1976: हिन्दी का समाजिकसंदर्भ (कें. हिं. संस्थान) आगरा।
4. श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ 1976: आधुनिक भाषा विज्ञान का सामाजिक संदर्भ(एक सर्वेक्षण) हिन्दी का सामाजिक संदर्भ: संपादित श्रीवास्तव व सहाय।
5. श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ 1994: हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र। नई दिल्ली,राधाकृष्ण प्रकाशन
6. तिवारी भोलानाथ 1951 भाषा विज्ञान: इलाहाबाद, हिन्दुस्तानी एकेडमी।
7. द्विवेदी, देवी शंकर 1974: भाषा और भाषिकी, प्रशान्त प्रकाशन, कुरुक्षेत्रविश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
8. शर्मा देवेन्द्रनाथ 1966: भाषाविज्ञान की भूमिका, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली।
9. प्रसाद, दिनकर 2013: हिंदी के विकास में मानकीकरण और आधुनिकीकरण की भूमिका (अप्रकाशित शोध प्रबंध)